ई–मेल / अति–महत्वपूर्ण / परीक्षा

प्रेषक,

अधिशासी निदेशक,
राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश,
अलीगंज लखनऊ।

सेवामें,

1– नोडल प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः /रा0व्या0प्रशि0परि0 / ईएक्स–005 / अ0भा0व्या0 परीक्षा अप्रैल–2020 / 2020 / लखनऊ

दिनांक 13 मार्च, 2020

विषयः **अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा (पूरक), अप्रैल–2020 (SEMESTER SYSTEM, ANNUAL SYSTEM AND DUAL SYSTEM OF TRAINING) के सम्पादन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुछ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा शुल्क समय से परिषद कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है, जिसके कारण अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। परीक्षा शुल्क न जमा करने के कारण उस संस्थान के विषय–प्राविधिक कला और प्रयोगात्मक के अंक NCVTMIS PORTAL पर UPLOAD नहीं किये जाते है। संस्थान द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अंक UPLOAD किये जाते है, लेकिन तब तक अत्यधिक विलम्ब हो जाता है, क्योंकि डी0जी0टी0 को अंक UPLOAD करने का समय निर्धारित **(समयबद्ध प्रक्रिया)** होता है जिस कारण उन संस्थानों का परीक्षाफल अपूर्ण रहता है एवं प्रशिक्षार्थी का भविष्य अन्धकारमय होने के साथ ही विभाग / परिषद की छवि खराब होती है।

इसके अतिरिक्त एन0सी0वी0टी0 और एस0सी0वी0टी0 दोनों पोर्टल पर एलाऊ **(ALLOW)** प्रशिक्षार्थियों की संख्या में काफी अन्तर आता है, जिससे विभाग / परिषद को लाखों रुपये के राजस्व की हानि होने की सम्भावना रहती है एवं परीक्षा शुल्क मिलान करने में अत्यधिक समय एवं जनशक्ति की हानि होती है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षार्थी के हित में आगामी परीक्षाओं हेतु निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैंः–

1– सम्बन्धित राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एस0सी0वी0टी0 पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से पहले अपने प्रशिक्षार्थियों को ALLOW करेंगे। निश्चित समय के उपरान्त ALLOW करने का LINK बन्द हो जायेगा, (किसी प्रशिक्षार्थी का नाम नहीं दिखने पर उसकी जानकारी तत्काल परिषद को अधिकृत ई–मेल आईडी vppuplucknow@gmail.com पर देंगे)।

2– ALLOW का LINK बन्द होने के उपरान्त चालान जनरेट करने की प्रक्रिया अपनानी होगी।

3– चालान जनरेट करने के उपरान्त ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा किया जायेगा।

4– परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रवेश पत्र जनरेट होगा (जनरेट न होने पर तत्काल परिषद की अधिकृत ई–मेल आईडी vppuplucknow@gmail.com पर अवगत करायेंगे)। यदि एन0सी0वी0टी0 एवं एस0सी0वी0टी0 पोर्टल पर Allow प्रशिक्षार्थियों की संख्या में अन्तर होगा तो सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य / प्रबन्धक, राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

5– एक निश्चित अवधि तक प्रवेश पत्र जनरेट होंगे, उसके उपरान्त प्रवेश पत्र जनरेट नहीं होंगे। अतः समयबद्धता का ध्यान रखें।

6– प्रवेश पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थान के एन0सी0वी0टी0 पोर्टल पर ALLOW किये गये प्रशिक्षार्थियों की संख्या एस0सी0वी0टी0 पोर्टल पर ALLOW किये गये प्रशिक्षार्थियों से मिलान किया जायेगा। दोनों में अन्तर पाये जाने पर इसे धोखा–धड़ी मानते हुए सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन प्रशिक्षार्थियों की फीस भी ब्याज सहित वसूली किये जाने पर विचार किया जायेगा।

7– इस प्रकार एक प्रवेश पत्र एस0सी0वी0टी0 स्तर से एवं दूसरा प्रवेश पत्र डी0जी0टी स्तर से जारी होंगे। सम्बन्धित नोडल प्रधानाचार्य दोनों प्रवेश पत्र देखकर ही प्रशिक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे किसी भी दशा में किसी एक प्रवेश पत्र के अभाव में प्रशिक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8– नोडल प्रधानाचार्य द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा से पूर्व सम्बन्धित संस्थान की एस0सी0वीटी0 पोर्टल की ALLOW LIST भी प्राप्त करनी होगी, जिसे हस्ताक्षर कर अंक तालिका के साथ परिषद मे जमा किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 08–04–2020** से आरम्भ होने वाली अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा **(पूरक)**, अप्रैल–2020 को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। **बिना दोनों PORTAL पर ALLOW किये/बिना परीक्षा शुल्क जमा किये, प्रशिक्षार्थियों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने पर परीक्षा शुल्क की धनराशि नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के वेतन से वसूली किये जाने पर भी विचार किया जायेगा।**

भवदीय,

(हरिकेश चौरसिया)
अधिशासी निदेशक

पत्रांकः 2546/रा0व्या0प्रशि0परि0/ईएक्स–005/अ0भा0व्या0 परीक्षा अप्रैल–2020/2020 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/अध्यक्ष, एस0सी0वी0टी0, उत्तर प्रदेश।

2– वैयक्तिक सहायक, सचिव, एस0सी0वी0टी0/निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0, लखनऊ।

3– अपर निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, को इस आशय से कि सम्बन्धितों को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

4– विशेष कार्याधिकारी, एस0सी0वी0टी0, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ।

5– संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ।

6– समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0), को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये।

7– उप निदेशक/सहायक निदेशक, एस0सी0वी0टी0, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ।

8– सहायक लेखाधिकारी, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ।

13.3.2021

(हरिकेश चौरसिया)
अधिशासी निदेशक